न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
67 / 2024	29 / 05 / 2024	21 / 05 / 2025

1. कल्याण पुत्र भंवरा
2. धन्ना पुत्र प्रभात
3. सीताराम पुत्र भंवरा
4. लेखराज पुत्र स्व0 जगदीश
5. राजकुमार पुत्र स्व0 नानगराम

जाति मीना निवासी सांऊ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

मातादीन पुत्र महादेव पि0 नाथू

रामफूल पुत्र महादेव पि0 नाथू

हरि पुत्र महादेव पि0 नाथू

जगदीश पुत्र स्व0 रामनाथ

फूलचन्द पुत्र स्व0 रामनाथ

बाबूलाल पुत्र स्व0 रामनाथ

हरिनारायण पुत्र स्व0 रामनाथ।

जाति मीना, निवासी सांऊ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादीगण

दावा बाबत राहिन इन्द्राज व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 43, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय:–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 0.0800है0 एवं खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.0700है0, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.2000है0 अनुसार वाकै ग्राम सांऊ, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है, जो कि वादीगण कब्जे काश्त हक खातेदारी एवं बुजुर्गो से वंशानुगत भूमि चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि ही इस वाद में आगे वादग्रस्त भूमि है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी सं0 4 के पिता जगदीश पुत्र भंवरा का स्वर्गवास हो चुका है एवं वादी सं0 5 के पिता नानगा पुत्र छोटू का स्वर्गवास हो चुका है, जो कि हिस्से अनुसार जिनकी विरासती कृषि भूमि है तथा वादी सं0 4 व 5 चले आ रहे है। वादीगण अपने पैतृक विरासती व खातेदारी विधिक अधिकारों अनुसार भूमि वादग्रस्त पर बहैसियत खातेदार काबिज रहते हुए नियमित काश्त करते आ रहे है एवं अपनी खातेदारी अनुसार वादीगण द्वारा ही लगान राज में जमा होता आ रहा है। वादीगण ने अपनी वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने पर अभि हाल ही मे वादी को जानकारी हुई कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 0.0800है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पिता

उपखण्ड अधिकारी

नाथू पुत्र ज्यारा जाति मीना निवासी सांऊ के नाम एवं खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0300है0, 259 रकबा 0.0700है0 अनुसार के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 के हकपूर्वक पिता रामनाथ पुत्र करमसी जाति मीना निवासी सांऊ अनुसार राहिन इन्द्राज वादी के अधिकारों के विरूद्व गलत अंकित चले आ रहे है। राहिनदार व उनके परिवारजन का वादग्रस्त भूमि में कोई विधिक लेना देना भी नही है। जबकि राहिनदार व्यक्ति मौके पर रहते भी नही है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 0.2000है0 के राजस्व रिकार्ड में भौरया पुत्र चन्दा जाति मीना निवासी सांऊ के नाम अनुसार राहिन इन्द्राज वादीगण के अधिकारों के विरूद्व गलत अंकित चले आ रहे है तथा भौरया पुत्र चन्दा ना0ओ0 कंवारा फोत हो चुका है, जिनके कोई वारिसान नही है तथा वादीगण के हितों के विरूद्व मृतक व्यक्ति का राहिन इन्द्राज विधि विरूद्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पश्चात धारा 43 के तहत भी कोई भूमि किसी व्यक्ति के हक में राहिन है/रखी जाती है, तो निश्चित समयावधि 20 वर्ष के पश्चात भूमि स्वतः ही रहन मुक्त समझी जाकर राजस्व रिकार्ड में राहिन इन्द्राज को राजस्व अधिकारियों द्वारा बगुजास्त/दुरूस्त किया जावेगा। उसके उपरान्त कानूनी प्रावधानों में समय समय पर संशोधन के पश्चात वर्तमान में तो 3 वर्ष पश्चात ही भूमि स्वतः रहन मुक्त समझी जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बतौर राहिन को राजस्व अधिकारीयों द्वारा दुरूस्त किया जाने का प्रावधान हो चुका है, जो कि कानून के आज्ञापक प्रावधान है जिसके तहत वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में राहिन इन्द्राज को बगुजास्त/निरस्त कराने का वादी अधिकारी है।कृषि भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 298 के राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 5 के पिता का नाम नानगराम पुत्र छोटू के स्थान पर नारायण पुत्र छोटू त्रुटिपूर्ण व गलत दर्ज कर दिया गया, जो कि राजस्व कर्मचारियों की भूल व चूक के द्वारा वादी सं0 5 के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है। जबकि मुताबिक दस्तावेजात एवं अन्य भूमि की खातेदारी के अनुसार वादी सं0 5 के पिता का नाम नानगराम पुत्र छोटू है। जो कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में राजस्व विभाग के द्वारा त्रुटिपूर्ण लिपिकीए तरीके से वादी सं0 5 के पिता का इन्द्राज खातेदारी में वादी के पिता का नाम गलत अंकित कर दिया गया है। उक्त प्रकार से त्रुटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड के कारण जमाबन्दी रिकार्ड में वादी सं0 5 के पिता का नाम गलत अंकित है, जो कि राजस्व विभाग के द्वारा लिपिकीय भूलवश सहवन से त्रुटिपूर्ण एवं गलत इन्द्राज है, जो कि काबिले शुद्विकरण एवं दुरूस्तनीय है। जो कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी सं0 5 के पिता का नाम नारायण पुत्र छोटू के स्थान पर नानगराम पुत्र छोटू अनुसार दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण ने उक्त प्रतिवादीगण के हकपूर्वज का राहिन इन्द्राज को एवं रिकार्ड को दुरूस्त कराने हेतु दिनांक 16.05.2024 को प्रतिवादीगण को निवेदन करने पर मना कर दिया गया। जिस कारण वादग्रस्त भूमि दीगर व्यक्तियों के राहिन इन्द्राज होने के कारण वादी के पिता मृतक खातेदार नानगराम पुत्र छोटू का विरासती नामा0 कार्यवाही नही हो पा रही है। अतः ग्राम सांऊ में वादीगण की पैतृक/खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 0.0800है0 के राजस्व रिकार्ड मे नाथू पुत्र ज्यारा जाति मीना का राहिन इन्द्राज एवं खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.0700है0 के राजस्व रिकार्ड में रामनाथ पुत्र कमरसी जाति मीना का राहिन इन्द्राज एवं खसरा नम्बर 298 रकबा 0. 2000है0 के राजस्व रिकार्ड मे भौरया पुत्र चन्द्रा के राहिन इन्द्राज को निरस्त कर रिकार्ड में वादी सं0 5 के पिता का नाम नारायण पुत्र छोटू के स्थान पर नानगराम पुत्र छोटू अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिया जाकर तदानुसार वादग्रस्त भूमियों के रिकार्ड दुरूस्तीकरण के आदेश प्रदान किया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 8 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025 /5694 दिनांक 01.05.25 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड खाता सं0 56 के खसरा नम्बर 298 रकबा 0.20है0 कल्याण पुत्र भंवारा हि0 1/12, जगदीश पुत्र भंवरा हि0 1/12, धन्ना पुत्र प्रभात हि0 1/12, नारायण पुत्र छोटू हि0 1/4, सीताराम पुत्र भंवरा हि0 1/12 समस्त जाति मीणा समस्त राहिन भौरया पुत्र चन्द्रा जाति मीणा सा0देह खातेदार, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.08है0 कल्याण पुत्र भौरा हि0 1/12, जगदीश, सीताराम पुत्रगण भौरा हि0 1/6, धन्ना पुत्र प्रभात हि0 1/2, नानगा पुत्र छोटू हि0 1/4 समस्त जाति मीणा समस्त राहिन नाथू पुत्र ज्यारा, खसरा नम्वर 256 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.07है0 कल्याण, जगदीश, सीताराम पुत्रगण भंवरा हि0 1/4, धन्ना पुत्र प्रभात हि0 1/2, नानगा पुत्र छोटू हि0 1/4 समस्त जाति मीणा समस्त राहिन रामनाथ पुत्र कर्मसी दर्ज रिकार्ड है।वर्तमान खसरा नम्बर 298 रकबा 0. 20है0 साविक खसरा नम्बर 215/2 दर्ज है पुराना रिकार्ड देखने पर मु0 एकीकरण खतौनी सं0 2018 में प्रभाता पुत्र जयकिशन हि0 1/2, भंवरा पुत्र मोहना हि0 1/4, भगवाना, नानगा पिता छोटया 1/4 कौम मीणा सा0देह राहिन भोरया वल्द चन्दा सा0देह मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर पर व्यक्तिगत रहन भूमि एकीकरण खतौनी 2018 से लगातार चला आ रहा है। खाता

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला–अलवर

सं0 56 खसरा नम्बर 298 रकबा 0.20है0 कल्याण पुत्र भंवरा हि0 1/12, जगदीश पुत्र भंवरा हि0 1/12, धन्ना पुत्र प्रभात हि0 1/2, नारायण पुत्र छोटू हि0 1/4, सीताराम पुत्र भंवरा हि0 1/12 समस्त जाति मीणा समस्त राहिन भौरया पुत्र चन्द्रा जाति मीणा सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 298 रकबा 0.20है0 पर दर्ज नारायण पुत्र छोटू हि0 1/4 दर्ज चला आ रहा है। जो कि गलत है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में नानगराम पुत्र छोटू दर्ज चला आ रहा है। अतः नारायण पुत्र छोटू के स्थान पर नानगा पुत्र छोटू किया जाना अपेक्षित है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 43, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सांऊ, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 56 के खसरा नम्बर 258 रकबा 0.0800है0 के राजस्व रिकार्ड मे नाथू पुत्र ज्यारा जाति मीना का राहिन इन्द्राज एवं खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.0700है0 के राजस्व रिकार्ड में रामनाथ पुत्र कमरसी जाति मीना का राहिन इन्द्राज एवं खसरा नम्बर 298 रकबा 0.2000है0 के राजस्व रिकार्ड मे भौरया पुत्र चन्द्रा के राहिन इन्द्राज को निरस्त किया जाकर रहनमुक्त किया जाता है तथा वादी सं0 5 के पिता का नाम नारायण पुत्र छोटू एवं नानगा पुत्र छोटू के स्थान पर नानगराम उर्फ नानगा पुत्र छोटू घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ